ACTION HISTORY OF RTI REQUEST No.FSOID/R/E/26/00021

Applicant Name	Kumar Bhaskar Kalbande
Text of Application	Information sought under RTI Act, 2005 regarding the processing and disposal of Public Grievance No. DOPAT/E/2026/0004080 related unauthorised extension of Impo10ent Shri Arvind Monde. Whereas FSI is only organisation where unauthorised absence chargesheet is kept pending however without finding the employee they have completed the chargesheet of fake certificate and dismissed the employee. Their former Teacher at IGNFA training Late IFS Officer Shri Jakati always used to tell me how bad some IFS officer were used to perform and now entire burden lies on Forest Survey of India of these untrained officer wasting goverment resources in lieu of extending bad genetical pool. In the reply dated 27.03.2026, the department categorically stated that Shri Arvind Mondhe, IFS, is not related to the vigilance inquiries, High Court directives, and CAG audit objections listed from points A to I cite: 212-220 Demand: Please provide a certified copy of the complete file, including all file notings, correspondence, internal communications, and approvals of the competent authority, wherein Grievance No. DOPAT/E/2026/0004080 was examined point-by-point, and the specific conclusion was recorded that Shri Arvind Mondhe is not related to points A through I. Also provide certified the dopt rules where unauthorisedly absent official can be dismissed through any other charges except charges of unauthorised absence. I am ready to pay legal charges
Reply of Application	Please find attachment for information sought.

SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks
1	RTI REQUEST RECEIVED	27/03/2026	Nodal Officer	
2	REQUEST FORWARDED TO CPIO	27/03/2026	Nodal Officer	Forwarded to CPIO(s) : (1) Sugandha Srivastava
3	REQUEST DISPOSED OF	24/04/2026	Sugandha Srivastava-(CPIO)	

Print

सख्या: 13-17/2022-प्रशासन-(पार्ट-II)-842
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारतीय वन सर्वेक्षण
पीओ- आईपीई , कौलागढ रोड
देहरादून -248195

दिनांक:27 मार्च 2026

विषय: **Public Grievance No. DOPAT/E/2026/0004080 dated 16.03.2026-regarding**

उपरोक्त विषय पर मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की लोक शिकायत संख्या DOPAT/E/2026/0004080 दिनांक 16.03.2026 के संबंध में निम्नलिखित सूचित किया जाता है:-

श्री कुमार कालबांडे, पूर्व कनिष्ठ तकनीकी सहायक को फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी प्राप्त करने के मामले में चार्जशीट जारी की गई थी। मामले में आवश्यक विस्तृत जाँच के पश्चात अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा सी.सी.एस. (सी.सी.ए) नियम, 1965 के नियम 11 (ix) के अनुसार **कार्यालय आदेश संख्या 7-8/2021-Admin-338 दिनांक 26.08.2025 (प्रतिलिपि संलग्न)** के द्वारा श्री कुमार कालबांडे को **"dismissed from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government"** किया जा चुका है।

<u>**श्री कुमार कालबांडे को दो अतिरिक्त चार्जशीट भी जारी की गयी थी, जिनका विवरण निम्न है:**</u>

<u>1. यौन उत्पीड़न का मामला (Sexual Harassment at Workplace):</u>

श्री कुमार कालबांडे कार्यालय में यौन उत्पीड़न की गतिविधियों में शामिल रहे थे। कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों ने लिखित में शिकायत की थी कि श्री. कुमार कालबांडे ने कार्यालय समय के दौरान अन्य महिला अधिकारियों की उपस्थिति में अपने कार्यालय के कंप्यूटर पर अश्लील चित्र खोले थे। ऑफिस के कंप्यूटर से कुछ अश्लील सामग्री के प्रिंटआउट भी मिले थे। आंतरिक शिकायत समिति द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण ने श्री कुमार कालबांडे को आरोप पत्र जारी किया था। आंतरिक शिकायत समिति द्वारा विस्तृत जाँच पूरी कर जाँच रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्रधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है। चुँकी श्री कुमार कालबांडे को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है, जिस कारण इस मामले में निर्णय लंबित रखा गया है।

<u>2. आदतन अनधिकृत अनुपस्थिति का मामला:</u>

01.04.2020 से उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि डेढ़ वर्ष से अधिक थी। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक उनकी मासिक उपस्थिति 0,0,0,1,0,14,8,14,3,5,0,0 और 1 थी। अप्रैल 2021 के बाद से उनकी उपस्थिति बिल्कुल शून्य थी। श्री कुमार कालबांडे को साल में 200 दिन से ज्यादा ऑफिस से अनुपस्थित रहने की आदत थी। इस मामले में भी श्री कुमार कालबांडे को आरोप पत्र जारी किया था। इस संबंध में जाँच अधिकारी द्वारा जाँच पूरी कर जाँच रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्रधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है। चुँकी श्री कुमार कालबांडे को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है, जिस कारण इस मामले में निर्णय लंबित रखा गया है।

<u>**श्री कुमार कालबांडे के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा:-**</u>

श्री कुमार कालबांडे, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, भारतीय वन सर्वेक्षण एक आदतन शिकायतकर्ता है और भारत के महामहिम राष्ट्रपति सहित विभिन्न अधिकारियों को भारतीय वन सर्वेक्षण के अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करता रहता है।

- श्री कुमार कालबांडे वर्ष 2009 से क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय), नागपुर में कार्यरत थे, अतः उनका स्थानान्तरण क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय), नागपुर से क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्वी), कोलकाता में आदेश क्रमांक 7-4/2010-प्रशा.-1224 दिनांक 30.07.2021 द्वारा लोकहित में किया गया था। गौरतलब है कि उनके **स्थानान्तरण के आदेश के बाद उन्होंने कोलकाता कार्यालय में कार्य-भार ग्रहण नहीं किया ।**

स्थानांतरण आदेश के खिलाफ श्री कुमार कालबांडे ने माननीय मुंबई उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ का रुख किया और रिट याचिका संख्या: 3967/2021 दायर की थी। इस मामले में **माननीय न्यायालय ने महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण के स्थानांतरण आदेश को बरकरार रखा और याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही उनके व्यवहार तथा उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों जोकि सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय थे की निंदा की** । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अंश नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं: -

"The petitioner has been posted to Nagpur, through-out since inception i.e. from the year 2009 and it is only now, for the first time, that the petitioner has been transferred from Nagpur to Kolkata."

"The post of the petitioner is transferable though, he submits, that there is no regulation fixing a minimum period of service at a particular station. But, he agrees that period of 13 years for a Government Officer to spend at one station continuously is very long period of time."

"The object of transfer of Government Officers is to prevent creation of vested interests to promote transparency in the administration, and to ensure good governance. If a Government Officer remains posted for such a long period of 13 years in one go, the object and purpose of the transfer of a Government Servant gets frustrated. It, therefore, follows that a Government Servant like the petitioner, who has continuously remained fastened to Nagpur for 13 long years must not and cannot contend that he has a right to be at Nagpur and that he should not be transferred to a place like Kolkata. In fact employer of the petitioner has been quite benign so far, as could be seen from the fact of posting of petitioner at Nagpur even after his promotion."

"Keeping in mind, the object of the transfer of Government Officer and long continuous stay at Nagpur, we are of the view that now, the petitioner has lost his right to challenge his transfer from Nagpur to Kolkata."

"The transfer order, in our considered view, serves the object of transfer of the Government officers and has been issued in public interest as stated earlier, and, therefore, there is no ground whatsoever available here to find any fault in the transfer order."

श्री कुमार कालबांडे अपने स्थानांतरण के उपरान्त भी नागपुर कार्यालय जाते थे एवं वहा पर उनके द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया जाता था। तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय), नागपुर ने दिनाक 17.08.2021 को एक नोटिस जारी कर कार्यालय परिसर में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गयी थी, इस नोटिस को भी श्री कुमार कालबांडे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार राय दी:

"By the notice dated 17.08.2021, entry of the petitioner in the office has been prohibited and the reason for the same is also stated. The reason is that, it was found by the superior officers of the petitioner that in spite of his transfer from Nagpur to Kolkata, the petitioner was visiting the office and creating some scenes, which have been described to be unruly... If this is so, we are of the view that the petitioner is indulging in a behavior unbecoming of a Government officer and this submission made on instructions on behalf of the petitioner is no less than misconduct on the part of the petitioner. On this ground as well, this petition deserves to be rejected."

- श्री कुमार कालबांडे द्वारा स्थानांतरण आदेश के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ, नागपुर स्थित शिविर में ओ.ए 514/2021 दायर की गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का संज्ञान लेते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने ओ.ए. 514/2021 को आदेश दिनांक 23.12.2022 को जारी करते हुए निस्तारित किया था कि ***"Since the applicant's Writ Petition challenging the same transfer order as has been challenged in the present O.A., has already been rejected by the High Court order in the Writ Petition No. 3967/2021 dated 27.10.2021, nothing survives at this stage in this O.A. for adjudication by the Tribunal. Therefore, this O.A. stands disposed of. No costs. "***

- दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि तक श्री. कुमार कालबांडे केवल 41.5 दिन कार्यालय में उपस्थित हुए थे और 261.5 दिन बिना किसी पूर्व अथवा बाद की स्वीकृति के अनुपस्थित रहे। वर्ष 2018-19 और 2019-20 में उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति की यही प्रवृत्ति रही। प्रत्येक वर्ष में उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति 150 दिनों से अधिक थी। पूर्व में भी भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (केंद्रीय), नागपुर के क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा अनधिकृत अनुपस्थिति और समय पालन न करने के लिए उन्हें

ज्ञापन जारी किए गए थे।

इस संबंध में यह भी सूचित करना है कि तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (केंद्रीय), नागपुर ने उपस्थिति और संबंधित दस्तावेजों के विवरण की जांच करने के लिए कार्यालय आदेश संख्या 141 दिनांक 02.03.2021 के माध्यम से एक समिति गठित की थी ताकि अवकाश अभिलेखों को नियमित किया जा सके और कोई भी भुगतान या बकाया वसूली तत्काल प्रभाव से की जा सके। समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए स्थानीय ऑडिट पार्टी ने निम्नानुसार निरीक्षण दर्ज किया था:

स्थानीय लेखापरीक्षा पार्टी-1, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग), मुंबई द्वारा लेखापरीक्षा निरीक्षण :

इस संबंध में, स्थानीय लेखापरीक्षा पार्टी-I, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग), मुंबई ने श्री कुमार कालबांडे की अनधिकृत अनुपस्थिति पर गठित समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए यह सूचित किया कि ***"Scrutiny of leave account revealed that Committee has calculated the unauthorized absence from 01.04.2018 to 01.01.2019 and settled absence in the leave account. After calculating and deducting the unauthorized absence from his leave account, official has remained zero leave balance at his credit. From 01.02.2019 to 15.03.2021 total absent days was treated as Dies non with no salary."***

इसके अलावा, ऑडिट पार्टी ने यह भी खुलासा किया कि ***"FSI, RO (Central), Nagpur has already paid the full salary for the period from February 2019 to December 2020 and January 2021 onward salary was stopped. Hence, based on the absent in a months and recommendation of the committee and with reference to the DoPT letter no. 11013/09/2014, audit has calculated excess salary an amount of Rs 7,08,154 was paid to official during his unauthorized absence from duty."***

यह भी सूचित किया जाता है कि मौलिक नियम 17 (1) के अनुसार, "***an officer who is absent from duty without any authority shall not be entitled to any pay and allowances during the period of such absence.***" श्री कुमार कालबांडे कार्यालय में उपस्थित नहीं होते थे, इसलिए उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया था।

इस ऑडिट रिपोर्ट के बाद, क्षेत्रीय निदेशक, नागपुर ने पत्र सं. 426-2009/336 दिनांक 30 जुलाई 2021 द्वारा श्री कुमार कालबांडे को निर्देशित किया कि वे रु. **7,08,154** रुपये के अतिरिक्त वेतन का भुगतान करें अन्यथा नियमानुसार निर्धारित किश्तों की अनुमेय संख्या में वेतन से राशि काट ली जायेगी। इसके बाद श्री कुमार कालबांडे ने कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग), मुंबई को शिकायत की थी। **ऑडिट पार्टी ने पूरे मामले की फिर से जांच की और वसूली जाने वाली राशि रु. 6,26,629 में संशोधित किया।**

- श्री कुमार कालबांडे के विरुद्ध क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय), नागपुर द्वारा पुलिस उपायुक्त, नागपुर एवं पुलिस निरीक्षक (अपराध), गिट्टीखदान पुलिस स्टेशन, नागपुर शहर को शिकायत दर्ज की गयी थी एवं **फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 कलम 149** के तहत पुलिस ने क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर में Inquiry दिन छोड़कर आने पर प्रतिबंध लगाया था।

- यह उल्लेख करना आवश्यक है कि श्री कुमार कालबांडे अगस्त 2021 से आरटीआई, प्रथम अपील, द्वितीय अपील, लोक शिकायतें तथा उनकी अपीलें दायर करते आ रहे हैं। **अब तक उन्होंने 177 आरटीआई, 67 प्रथम अपीलें, माननीय केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में 15 द्वितीय अपीलें तथा भारतीय वन सर्वेक्षण, मुख्यालय, देहरादून में 50 लोक शिकायतें एवं उनकी 25 अपीलें दायर की हैं।** इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (केंद्रीय), नागपुर से संबंधित 60 आरटीआई, 41 प्रथम अपीलें तथा माननीय CIC में 10 द्वितीय अपीलें भी दायर की हैं। इसके अलावा, उन्होंने माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रियों, वीआईपी, मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन) के न्यायालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि को कई निराधार और असत्य शिकायतें भी भेजी हैं, जिनका यथोचित उत्तर दिया जा चुका है।

- पूर्व में माननीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग ने श्री कुमार कालबांडे द्वारा दायर की गयी दूसरी अपील दिनांक 07.02.2024 के संबंध में **नंदकिशोर गुप्ता बनाम सीपीआईओ, नॉर्थवेस्टर्न रेलवे, मुख्यालय कार्यालय, मालवीय नगर, जयपुर – 302017** के आदेश की सलाह का संज्ञान लेते हुये निम्न आदेश पारित किया गया:-

"The Appellant being a serving employee of the respondent Public Authority has

as much right to information as is available to any other citizen of India. However, such a serving employee has an added obligation to frame the request in simplest and most easily understood form possible because he/she knows the circumstances under which his/her colleagues are working while also discharging the additional duty as CPIO and FAA. Therefore, the conduct of the Appellant in the present matter, to say the least, is questionable and is not appreciated.

Accordingly, the appellant is cautioned and admonished wherein he should keep in mind that the RTI Act should be used judiciously, sensibly and responsibly so that purpose of the RTI Act would not be defeated. ***The Commission leaves it to the concerned disciplinary authority for any consequent action in the matter.***"

उक्त आदेश की advisory को इस मामले में लागू करते हुये सूचना आयुक्त ने यह कहा है कि "***The Appellant has not been judious in the use of RTI Act and has been using it as a tool to harass the Public Authority through hundreds of applications to settle his personal vendetta arising out of his transfer from Nagpur to Kolkata".***

- माननीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग ने श्री कुमार कालबांडे द्वारा दायर की गयी दूसरी अपील दिनांक 24.10.2025 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 03.11.2025 में भी निम्नलिखित उल्लेखित किया है:

Thus, it appears that the Appellant has been repeatedly seeking information on the same subject matter thus wasting the time and resources of Public Authority. Such repetitive litigation is counterproductive to the RTI regime and this aspect has been discussed by the Apex Court in great detail in the case of Ashok Kumar Pandey vs. The State of West Bengal, (AIR 2003 SC 280 Para 11), where J. Pasayat had held:

".........It is depressing to note that on account of such trumpery proceedings initiated before the Courts, innumerable days are wasted, which time otherwise could have been spent for the disposal of cases of the genuine litigants. Though we spare no efforts in fostering and developing the laudable concept of PIL and extending our long arm of sympathy to the poor, the ignorant, the oppressed and the needy whose fundamental rights are infringed and violated and whose grievances go unnoticed, unrepresented and unheard; yet we cannot avoid but expressing our opinion that while genuine litigants with legitimate grievances relating to civil matters involving properties worth hundreds of millions of rupees and criminal cases in which persons sentenced to death facing gallows under untold agony and persons sentenced to life imprisonment and kept in incarceration for long years, persons suffering from undue delay in service matters, Government or private, persons awaiting the disposal of case... ... ... etc. etc. are all standing in a long serpentine queue for years with the fond hope of getting into the Courts and having their grievances redressed, the busybodies, meddlesome interlopers, wayfarers or officious interveners having absolutely no public interest except for personal gain or private profit either of themselves or as proxy of others or for any other extraneous motivation or for glare of publicity break the queue muffing their faces by wearing the mask of public interest litigation and get into the Courts by filing vexatious and frivolous petitions and thus criminally waste the valuable time of the Courts, as a result of which the queue standing outside the doors of the Courts never moves, which piquant situation creates frustration in the minds of the genuine litigants and resultantly they lose faith in the administration of our judicial system.........."

श्री कुमार कालबांडे द्वारा श्री मुंढे अरविंद दत्तु, भा.व.से., के विरुद्ध की गयी शिकायत का जवाब बिन्दुवार निम्न है:-

A. श्री मुंढे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।
B. श्री मुंढे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।
C. श्री मुंढे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।

D. श्री मुंढे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।
E. श्री मुंढे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।
F. श्री मुंढे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।
G. श्री मुंढे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।
H. श्री मुंढे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।
I. श्री मुंढे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।

श्री कुमार कालबांडे एक आदतन शिकायतकर्ता है। वे भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) के अधिकारियों की प्रतिष्ठा प्रभावित एवं उनकी छवी को धूमिल करने के लिये अक्सर झूठी शिकायतें करते रहते हैं। श्री कुमार कालबांडे द्वारा श्री मुंढे अरविंद दत्तु, भा.व.से., के विरुद्ध की गयी शिकायत पूर्णतः निराधार है। अतः श्री कुमार कालबांडे के द्वारा की गयी शिकायत पर इस कार्यालय से कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

Digitally signed by
Shivani Dogra
Date: 25-03-2026
18:19:25
(शिवानी डोगरा)
भा.व.से.
संयुक्त निदेशक
भारतीय वन सर्वेक्षण

श्री कुमार कालबांडे,
C/o Mrs S B Kalbande,
Balaji Appt Flat No. 16-5-A, Atrey Layout,
Pratap Nagar, Nagpur- 440022
ई-मेल- kumarkalbande@gmail.com, disabilityacessforall@gmail.com

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली – 110001
2. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुख्य बिल्डिंग, मैडम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, नरिमन पॉइंट, मुंबई – 400032
3. प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कक्ष संख्या: 217 (एनेक्सी भवन, द्वितीय मंज़िल), मंत्रालय, मुंबई – 400032

संख्या–13–7/2025–प्रशा0 – 1128

भारत सरकार

भारतीय वन सर्वेक्षण

डाकघर–आई0पी0ई0, कौलागढ़ मार्ग

देहरादून–248195

दिनांक 24 अप्रैल, 2026

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
भारतीय वन सर्वेक्षण
कौलागढ़ मार्ग, देहरादून।

विषयः– RTI under the Right to information Act, 2005.

संदर्भः– पत्र संख्याः–13–4/2025–आर0टी0आई0–901 दिनांक 01.04.2026.

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि Shri Kumar Bhaskar Kalbande, Maharashtra के आर0टी0आई0 आवेदन पत्र संख्याः–Registration No. Registration No. FSOID/R/E/26/00021 दिनांक 27.03.2026 के द्वारा मांगी गई संबंधित सूचना उपलब्ध रूप में प्रशासन अनुभाग से प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

Digitally signed by
Sampath Sundaramurthy
Date: 23-04-2026
20:33:54

(एस.संपत)
उप निदेशक (का0 एवं प्रशा0)

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

सुधाकरा
23/04/2026.

RTI Cell.

संख्या: 13-17/2022-[illegible]
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारतीय वन सर्वेक्षण
पी.ओ.- आईपीई, कौलागढ़ रोड
देहरादून -248195

दिनांक: [illegible] मार्च 2026

विषय: Public Grievance No. DOPAT/E/2026/0004080 dated 16.03.2026-regarding

उपरोक्त विषय पर मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की लोक शिकायत संख्या DOPAT/E/2026/0004080 दिनांक 16.03.2026 के संबंध में निम्नलिखित सूचित किया जाता है:-

श्री कुमार कालबांडे, पूर्व कनिष्ठ तकनीकी सहायक को फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी प्राप्त करने के मामले में चार्जशीट जारी की गई थी। मामले में आवश्यक विस्तृत जाँच के पश्चात अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा सी सी एस (सी.सी.ए) नियम, 1965 के नियम 11 (ix) के अनुसार कार्यालय आदेश संख्या 7-8/2021-Admin-338 दिनांक 26.08.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा श्री कुमार कालबांडे को "dismissed from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government" किया जा चुका है।

<u>श्री कुमार कालबांडे को दो अतिरिक्त चार्जशीट भी जारी की गयी थी, जिनका विवरण निम्न है:</u>

<u>1. यौन उत्पीडन का मामला (Sexual Harassment at Workplace):</u>

श्री कुमार कालबांडे कार्यालय में यौन उत्पीडन की गतिविधियों में शामिल रहे थे। कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों ने लिखित में शिकायत की थी कि श्री. कुमार कालबांडे ने कार्यालय समय के दौरान अन्य महिला अधिकारियों की उपस्थिति में अपने कार्यालय के कंप्यूटर पर अश्लील चित्र खोले थे। ऑफिस के कम्प्यूटर से कुछ अश्लील सामग्री के प्रिंटआउट भी मिले थे। आंतरिक शिकायत समिति द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण ने श्री कुमार कालबांडे को आरोप पत्र जारी किया था। आंतरिक शिकायत समिति द्वारा विस्तृत जाँच पूरी कर जाँच रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है। चूंकि श्री कुमार कालबांडे को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है, जिस कारण इस मामले में निर्णय लंबित रखा गया है।

<u>2. आदतन अनधिकृत अनुपस्थिति का मामला:</u>

01.04.2020 से उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि डेढ़ वर्ष से अधिक थी। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक उनकी मासिक उपस्थिति 0.0.0.1.0.14.8.14.3.5.0.0 और 1 थी। अप्रैल 2021 के बाद से उनकी उपस्थिति बिल्कुल शून्य थी। श्री कुमार कालबांडे को साल में 200 दिन से ज्यादा ऑफिस से अनुपस्थित रहने की आदत थी। इस मामले में भी श्री कुमार कालबांडे को आरोप पत्र जारी किया था। इस संबंध में जाँच अधिकारी द्वारा जाँच पूरी कर जाँच रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है। चूंकि श्री कुमार कालबांडे को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है, जिस कारण इस मामले में निर्णय लंबित रखा गया है।

<u>श्री कुमार कालबांडे के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा:-</u>

श्री कुमार कालबांडे, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, भारतीय वन सर्वेक्षण एक आदतन शिकायतकर्ता है और भारत के महामहिम राष्ट्रपति सहित विभिन्न अधिकारियों को भारतीय वन सर्वेक्षण के अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करता रहता है।

- श्री कुमार कालबांडे वर्ष 2009 से क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय), नागपुर में कार्यरत थे, अतः उनका स्थानान्तरण क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय), नागपुर से क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्वी), कोलकाता में आदेश क्रमांक 7-4/2010-प्रशा.-1224 दिनांक 30.07.2021 द्वारा लोकहित में किया गया था। गौरतलब है कि उनके स्थानान्तरण के आदेश के बाद उन्होंने कोलकाता कार्यालय में कार्य-भार ग्रहण नहीं किया।

स्थानांतरण आदेश के खिलाफ श्री कुमार कालबांडे ने माननीय मुंबई उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ का रुख किया और रिट याचिका संख्या: 3967/2021 दायर की थी। इस मामले में माननीय न्यायालय ने महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण के स्थानांतरण आदेश को बरकरार रखा और याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही उनके व्यवहार तथा उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों जोकि सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय थे की निंदा की। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अंश नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं.

File No. 13-7/2025-Admin. (Computer No. 288257)
Generated from eOffice by KRISHAN SAINI, LDC(KS)-FGD, LOWER DIVISION CLERK, FSI on 23/04/2026 11:49 am

"The petitioner has been posted to Nagpur, through-out since inception i.e. from the year 2009 and it is only now, for the first time, that the petitioner has been transferred from Nagpur to Kolkata."

"The post of the petitioner is transferable though, he submits, that there is no regulation fixing a minimum period of service at a particular station. But, he agrees that period of 13 years for a Government Officer to spend at one station continuously is very long period of time."

"The object of transfer of Government Officers is to prevent creation of vested interests to promote transparency in the administration, and to ensure good governance. If a Government Officer remains posted for such a long period of 13 years in one go, the object and purpose of the transfer of a Government Servant gets frustrated. It, therefore, follows that a Government Servant like the petitioner, who has continuously remained fastened to Nagpur for 13 long years must not and cannot contend that he has a right to be at Nagpur and that he should not be transferred to a place like Kolkata. In fact employer of the petitioner has been quite benign so far, as could be seen from the fact of posting of petitioner at Nagpur even after his promotion."

"Keeping in mind, the object of the transfer of Government Officer and long continuous stay at Nagpur, we are of the view that now, the petitioner has lost his right to challenge his transfer from Nagpur to Kolkata."

"The transfer order, in our considered view, serves the object of transfer of the Government officers and has been issued in public interest as stated earlier, and, therefore, there is no ground whatsoever available here to find any fault in the transfer order."

श्री कुमार कालबांडे अपने स्थानांतरण के उपरान्त भी नागपुर कार्यालय जाते थे एवं वहां पर उनके द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया जाता था। तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय), नागपुर ने दिनांक 17.08.2021 को एक नोटिस जारी कर कार्यालय परिसर में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गयी थी, इस नोटिस को भी श्री कुमार कालबांडे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार राय दी:

"By the notice dated 17.08.2021, entry of the petitioner in the office has been prohibited and the reason for the same is also stated. The reason is that, it was found by the superior officers of the petitioner that in spite of his transfer from Nagpur to Kolkata, the petitioner was visiting the office and creating some scenes, which have been described to be unruly... If this is so, we are of the view that the petitioner is indulging in a behavior unbecoming of a Government officer and this submission made on instructions on behalf of the petitioner is no less than misconduct on the part of the petitioner. On this ground as well, this petition deserves to be rejected."

- श्री कुमार कालबांडे द्वारा स्थानांतरण आदेश के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ, नागपुर स्थित शिविर में ओ.ए 514/2021 दायर की गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का संज्ञान लेते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने ओ.ए. 514/2021 को आदेश दिनांक 23.12.2022 को जारी करते हुए निस्तारित किया था कि "*Since the applicant's Writ Petition challenging the same transfer order as has been challenged in the present O.A., has already been rejected by the High Court order in the Writ Petition No. 3967/2021 dated 27.10.2021, nothing survives at this stage in this O.A. for adjudication by the Tribunal. Therefore, this O.A. stands disposed of. No costs.*"

- दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि तक श्री. कुमार कालबांडे केवल 41.5 दिन कार्यालय में उपस्थित हुए थे और 261.5 दिन बिना किसी पूर्व अथवा बाद की स्वीकृति के अनुपस्थित रहे। वर्ष 2018-19 और 2019-20 में उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति की यही प्रवृत्ति रही। प्रत्येक वर्ष में उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति 150 दिनों से अधिक थी। पूर्व में भी भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (केंद्रीय), नागपुर के क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा अनधिकृत अनुपस्थिति और समय पालन न करने के लिए उन्हें

File No. 13-7/2025-Admin. (Computer No. 288257)
Generated from eOffice by KRISHAN SAINI, LDC(KS)-FGD, LOWER DIVISION CLERK, FSI on 23/04/2026 11:49 am

ज्ञापन जारी किया गया था।
इस संबंध में यह भी सूचित करना है कि [illegible] कार्यालय (केंद्रीय), नागपुर ने उपस्थिति और संदिग्ध दस्तावेजों के विरुद्ध [illegible] कार्यालय ज्ञापन संख्या 141 दिनांक 02.03.2021 के माध्यम से एक समिति गठित की थी [illegible] जा सके और कोई भी भुगतान या बकाया वसूली तत्काल प्रभाव से की जा सके। समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए स्थानीय ऑडिट पार्टी ने निम्नानुसार निरीक्षण दर्ज किया था:

स्थानीय लेखापरीक्षा पार्टी-1, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग), मुंबई द्वारा लेखापरीक्षा निरीक्षण :

इस संबंध में, स्थानीय लेखापरीक्षा पार्टी 1, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग), मुंबई ने श्री कुमार कालबांडे की अनधिकृत अनुपस्थिति पर गठित समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए यह सूचित किया कि ***"Scrutiny of leave account revealed that Committee has calculated the unauthorized absence from 01.04.2018 to 01.01.2019 and settled absence in the leave account. After calculating and deducting the unauthorized absence from his leave account, official has remained zero leave balance at his credit. From 01.02.2019 to 15.03.2021 total absent days was treated as Dies non with no salary."***

इसके अलावा, ऑडिट पार्टी ने यह भी खुलासा किया कि ***"FSI, RO (Central), Nagpur has already paid the full salary for the period from February 2019 to December 2020 and January 2021 onward salary was stopped. Hence, based on the absent in a months and recommendation of the committee and with reference to the DoPT letter no. 11013/09/2014, audit has calculated excess salary an amount of Rs 7,08,154 was paid to official during his unauthorized absence from duty."***

यह भी सूचित किया जाता है कि मौलिक नियम 17 (1) के अनुसार ***"an officer who is absent from duty without any authority shall not be entitled to any pay and allowances during the period of such absence."*** श्री कुमार कालबांडे कार्यालय में उपस्थित नहीं होते थे इसलिए उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया था।

इस ऑडिट रिपोर्ट के बाद, क्षेत्रीय निदेशक, नागपुर ने पत्र सं. 426-2009/336 दिनांक 30 जुलाई 2021 द्वारा श्री कुमार कालबांडे को निर्देशित किया कि वे रु. 7,08,154 रुपये के अतिरिक्त वेतन का भुगतान करें अन्यथा नियमानुसार निर्धारित किश्तों की अनुमेय संख्या में वेतन से राशि काट ली जायेगी। इसके बाद श्री कुमार कालबांडे ने कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग), मुंबई को शिकायत की थी। ऑडिट पार्टी ने पूरे मामले की फिर से जांच की और वसूली जाने वाली राशि रु. 6,26,629 में संशोधित किया।

- श्री कुमार कालबांडे के विरुद्ध क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय), नागपुर द्वारा पुलिस उपायुक्त, नागपुर एवं पुलिस निरीक्षक (अपराध), गिट्टीखदान पुलिस स्टेशन, नागपुर शहर को शिकायत दर्ज की गयी थी एवं फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 कलम 149 के तहत पुलिस ने क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर में Inquiry दिन छोड़कर आने पर प्रतिबंध लगाया था।

- यह उल्लेख करना आवश्यक है कि श्री कुमार कालबांडे अगस्त 2021 से आरटीआई, प्रथम अपील, द्वितीय अपील, लोक शिकायतें तथा उनकी अपीलें दायर करते आ रहे हैं। **अब तक उन्होंने 177 आरटीआई, 67 प्रथम अपीलें, माननीय केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में 15 द्वितीय अपीलें तथा भारतीय वन सर्वेक्षण, मुख्यालय, देहरादून में 50 लोक शिकायतें एवं उनकी 25 अपीलें दायर की हैं।** इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (केंद्रीय), नागपुर से संबंधित 60 आरटीआई, 41 प्रथम अपीलें तथा माननीय CIC में 10 द्वितीय अपीलें भी दायर की हैं। इसके अलावा, उन्होंने माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रियों, सीआईसी, मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन) के न्यायालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि को कई निराधार और असत्य शिकायतें भी भेजी हैं, जिनका यथोचित उत्तर दिया जा चुका है।

- पूर्व में माननीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग ने श्री कुमार कालबांडे द्वारा दायर की गयी दूसरी अपील दिनांक 07.02.2024 के संबंध में नंदकिशोर गुप्ता बनाम सीपीआईओ, नॉर्थवेस्टर्न रेलवे, मुख्यालय कार्यालय, मालवीय नगर, जयपुर – 302017 के आदेश की सलाह का संज्ञान लेते हुये निम्न आदेश पारित किया गया:-

"The Appellant being a serving employee of the respondent Public Authority has

as much right to information as is available to any other citizen of India. However, such a serving employee has an added obligation to frame the request in simplest and most easily understood form possible because he/she knows the circumstances under which his/her colleagues are working while also discharging the additional duty as CPIO and FAA. Therefore, the conduct of the Appellant in the present matter, to say the least, is questionable and is not appreciated.

Accordingly, the appellant is cautioned and admonished wherein he should keep in mind that the RTI Act should be used judiciously, sensibly and responsibly so that purpose of the RTI Act would not be defeated. **The Commission leaves it to the concerned disciplinary authority for any consequent action in the matter.**

उक्त आदेश की advisory को इस मामले में लागू करते हुए सूचना आयुक्त ने यह कहा है कि ***"The Appellant has not been judious in the use of RTI Act and has been using it as a tool to harass the Public Authority through hundreds of applications to settle his personal vendetta arising out of his transfer from Nagpur to Kolkata".***

- माननीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग ने श्री कुमार कालबांडे द्वारा दायर की गयी दूसरी अपील दिनांक 24.10.2025 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 03.11.2025 में भी निम्नलिखित उल्लेखित किया है:

Thus, it appears that the Appellant has been repeatedly seeking information on the same subject matter thus wasting the time and resources of Public Authority. Such repetitive litigation is counterproductive to the RTI regime and this aspect has been discussed by the Apex Court in great detail in the case of Ashok Kumar Pandey vs. The State of West Bengal, (AIR 2003 SC 280 Para 11), where J. Pasayat had held:

"........It is depressing to note that on account of such trumpery proceedings initiated before the Courts, innumerable days are wasted, which time otherwise could have been spent for the disposal of cases of the genuine litigants. Though we spare no efforts in fostering and developing the laudable concept of PIL and extending our long arm of sympathy to the poor, the ignorant, the oppressed and the needy whose fundamental rights are infringed and violated and whose grievances go unnoticed, unrepresented and unheard, yet we cannot avoid but expressing our opinion that while genuine litigants with legitimate grievances relating to civil matters involving properties worth hundreds of millions of rupees and criminal cases in which persons sentenced to death facing gallows under untold agony and persons sentenced to life imprisonment and kept in incarceration for long years, persons suffering from undue delay in service matters, Government or private, persons awaiting the disposal of case........ etc. etc. are all standing in a long serpentine queue for years with the fond hope of getting into the Courts and having their grievances redressed, the busybodies, meddlesome interlopers, wayfarers or officious interveners having absolutely no public interest except for personal gain or private profit either of themselves or as proxy of others or for any other extraneous motivation or for glare of publicity break the queue muffling their faces by wearing the mask of public interest litigation and get into the Courts by filing vexatious and frivolous petitions and thus criminally waste the valuable time of the Courts, as a result of which the queue standing outside the doors of the Courts never moves, which piquant situation creates frustration in the minds of the genuine litigants and resultantly they lose faith in the administration of our judicial system.........."

श्री कुमार कालबांडे द्वारा श्री मुंडे अरविंद दत्तु, भा.व.से., के विरुद्ध की गयी शिकायत का जवाब बिन्दुवार निम्न है:-

A. श्री मुंडे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।
B. श्री मुंडे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।
C. श्री मुंडे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।

D. श्री मुंडे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।
E. श्री मुंडे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।
F. श्री मुंडे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।
G. श्री मुंडे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।
H. श्री मुंडे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।
I. श्री मुंडे अरविंद दत्तु, भा.व.से., उप निदेशक (का. एवं प्रशा.), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून से संबंधित नहीं है।

श्री कुमार कालबांडे एक आदतन शिकायतकर्ता हैं जो भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) के अधिकारियों की प्रतिष्ठा प्रभावित एवं उनकी छवि को धूमिल करने के लिए अक्सर झूठी शिकायत करते रहते हैं। श्री कुमार कालबांडे द्वारा श्री मुंडे अरविंद दत्तु, भा.व.से., के विरुद्ध की गयी शिकायत पूर्णतः निराधार है। अतः श्री कुमार कालबांडे के द्वारा की गयी शिकायत पर इस कार्यालय में कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

Digitally signed by
Shivani Dogra
Date: 25-03-2026
18:19:25
(शिवानी डोगरा)
भा.व.से.
संयुक्त निदेशक
भारतीय वन सर्वेक्षण

श्री कुमार कालबांडे,
C/o Mrs S B Kalbande.
Balaji Appt Flat No. 16-5-A. Atrey Layout
Pratap Nagar, Nagpur- 440022
ई-मेल- kumarkalbande@gmail.com_disabilityacessforall@gmail.com

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली – 110001
2. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुख्य बिल्डिंग, मैडम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, नरिमन पॉइंट, मुंबई – 400032
3. प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कक्ष संख्या: 217 (एनेक्सी भवन, द्वितीय मंजिल), मंत्रालय, मुंबई – 400032